(वाद सं0.– 2372//2018)

18.04.2022

प्रसंगाधीन मामला, पंचायत राज मियादतपुर अगुवानी, परबत्ता(खगड़िया) के मुखिया के द्वारा परिवादी, जगदीश दास, संहित कुल 41 व्यक्तियो को, जो परबत्ता प्रखंड के निवासी है, निशक्त, बुजुर्ग, विघवा, गरीब होने के आधार पर करीब दो वर्षो से अनुमान्य पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना** तथा **जिला पदाधिकारी, खगड़िया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, खगड़िया** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवाद पत्र में उल्लिखित सभी लाभार्थियों को जनवरी, 2021 तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। उक्त के समर्थन में जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ ई0 लाभार्थी पोर्टल की हार्ड कॉपी संलग्न कर भेजी गई है।

जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन पर परिवादी से **प्रत्युत्तर** की मांग की गई । परिवादी, जगदीश दास, द्वारा जनवरी, 2021 तक उसे पेंशन भुगतान प्राप्त होने का समर्थन अपने प्रत्युत्तर में किया गया है लेकिन उसका यह कथन है कि अभी भी कुछ महीनों का कुछ लोगो का पेंशन बाकी है साथ–ही–साथ परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में यह भी कथन है कि उसका व अन्य लाभार्थियो का स्थानीय प्रशासन से अब कोई शिकायत नहीं रह गयी है तथा उनकी ओर से जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः परिवादी के उक्त अनुरोध के आलोक में **जिला पदाधिकारी, खगड़िया** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक